न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 102/2010/223 आर टी ए

1. पोलाराम पुत्र हरीराम जाति कुम्हार निवासी भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. पृथ्वीराज पुत्र हरीराम जाति कुम्हार निवासी भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी लालगढ़ जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. शैरादेवी पत्नि हरीराम जाति कुम्हार निवासी भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ हाल निवासी लालगढ़ जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

––अपीलांटस

बनाम

1. शांतिदेवी पुत्री हरीराम पत्नि माडूराम जाति कुम्हार निवासी भागसर हाल निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. विमला पुत्री हरीराम पत्नि जरनैलसिंह जाति कुम्हार निवासी भागसर हाल निवासी खोथावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. सुरजाराम पुत्र गणपतराम जाति कुम्हार निवासी भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 24.05.2010 न्यायालय सहायक कलैक्टर पीलीबंगा प्र0 सं0 29/10 अनवानी पोलाराम आदि बनाम शांतिदेवी आदि

उपस्थित :–
श्री जसपालसिंह अधिवक्ता अपीलांट
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4

निर्णय दिनांकः–26.07.2018

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए पेश कर वादग्रस्त के संबंध मे खाता तकसीम बाबत अनुतोष चाहा गया। उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने वादीगण के साथ राजीनामा प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया। प्रतिवादी सं. 3 सुरजाराम के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही हुई व जवाब स्टेट भी प्रस्तुत हुआ जिससे अधीनस्थ न्यायालय ने कोई तनकी कायम नही की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के दावा का निर्णय वादीगण

के प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य को नजरअंदाज कर विधिविरूद्ध तरीके से वाद वादीगण/अपीलांटस खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण/अपीलांटस के अनुतोष पर बिना गौर किये तथ्यो व साक्ष्यों के विरूद्ध निर्णय कर कानूनी भूल की है जबकि वादीगण अपीलांटस कानूनन अपने हक व हिस्सा की घोषणा पाने व अपना खाता राजस्व रिकार्ड मे अलग करवाने के अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र प्रतिवादी सं. 3 के उपस्थित नही होने के कारण तथा वादग्रस्त भूमि राजीनामा मे कम ज्यादा मानते हुए दावा खारिज किया गया है। जबकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के पिता हरीराम व सुरजाराम के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज है तथा हिस्सा के मुताबिक ही खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया था। वादग्रस्त भूमि राजीनामा मे कम व ज्यादा थी तो वाद मे प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए वादग्रस्त भूमि के संबंध मे विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर दावा डिक्री किया जाना चाहिए था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र मे राजीनामा प्रस्तुत होने के बावजूद भी दावा खारिज कर दिया गया। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर वाद वादीगण डिक्री किया जावे कि चक 6 एसजीआर के प.न. 6/315 मु.न. 17 कि.न. 1 ता 4/1.012 है0 अ.क., 5/0.228(0.025 रास्ता) अ0क0, 6/0.228(0.025 रास्ता अ0क0), 7 ता 10/1.012 अ.क., 11 ता 13 नहरी, 14 अ.क, 15/0.228 (0.025 रास्ता अ0क0), 16/0.228 (0.025 रास्ता अ.क.), 17/0.253 अ0क0, 18 ता 24/1.771, 25/0.063 कुल 6.135 है0 नहरी/अ0क0 मय रास्ता खातेदारी कृषि भूमि को वादी सं. 1 ता 3 व प्रतिवादी सं. 1 व 2 को बहिस्सा बराबर खाता विभाजन मे दी जाने व रकम व खाता

अलग कायम किये जाने की घोषणा की जावे व वादीगण का दावा डिक्री किया जावें।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता अपनी बहस के कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त भूमि सांझा खाता मे अपीलांटस एवं रेस्पो0 के पूर्वज हरीराम व सुरजाराम के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध मे खाता तकसीम बाबत वाद प्रस्तुत किया गया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद वादीगण यह उल्लेखित करते हुए खारिज कर दिया कि ''वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा जो राजीनामा पेश किया गया उसमे भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन नही किया जाकर कम ज्यादा किया गया है। चूंकि पक्षकारान भूमि अच्छी मंदी के अनुसार कम ज्यादा कर सकता है किन्तु विभाजन मे प्राप्त भूमि की मालयती, भू–राजस्व एक समान होनी आवश्यक है किन्तु उभय पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मे ऐसा नही किया गया है। प्रस्तुत राजीनामा मे वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अपने हिस्सा मे नहरी भूमि को ज्यादा रखी गयी है प्रकरण मे प्रतिवादी सं. 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर उसको सुना भी नही गया है। इस प्रकार प्रस्तुत राजीनामा मे भूमि कम ज्यादा होने तथा उसकी मालयती, भू–राजस्व एक समान नही होने पर खाता विभाजन न्याय की दृष्टि से किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।'' जबकि विभाजन के वाद के अन्तर्गत आपसी सहमति/राजीनामा के आधार पर भूमि कम या ज्यादा दिये जाने के प्रावधान किये गये है। हस्तगत प्रकरण मे आपसी सहमति/राजीनामा के आधार पर भूमि कम ज्यादा दी गई है जिसमे किसी भी पक्षकार द्वारा आपत्ति जाहिर नही की गई। जहां प्रतिवादी/रेस्पो0 सं. 4 को नही सुनने का प्रश्न है तो समस्त पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण मे पुनः नये निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायसंगत है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट

आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24.05.2010 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण मे पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 27.08.2018 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ